कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

Indira Gandhi Engineering College Sagar (M.P.)

(Declared Autonomous by Government of M.P.)

Jabalpur Road, Baheria, Distt.- Sagar, Madhya Pradesh-470004

Phone: 07582-263896, Fax: 07582-263850, 263826

Email: dr.principalgec@rediffmail.com, - Website: www.igecsagar.ac.in

---

क्र0 / इ.म. / छात्रवृत्ति शाखा / 2017–18 / 69 *सागर,दिनांक :– 01 /08/ 2018*

// गाँव की बेटी छात्रवृत्ति योजना संबंधी सूचना //

संस्था में वर्ष 2017–18 में बी.ई. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में (नवीन / नवीनीकरण प्रवेशित छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2017–18 हेतु गाँव की बेटी छात्रवृत्ति योजना के आवेदन पत्र mpscholarship portal के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करें एवं हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संस्था के छात्रवृत्ति शाखा / नोडल सेंन्टर में आवश्यक रूप से जमा करावे।

योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है:–

1. छात्रा को गाँव का निवासी होना चाहिए एवं बारहवी कक्षा में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. योजना की अन्य सभी शर्ते पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालय से पढ़कर वारहवी कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।
3. शहरी अथवा नगरीय क्षेत्रों के निवासी एवं उन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से बारहवी की कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रायें इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र नहीं होगी।
4. प्रत्येक गाँव से प्रति वर्ष प्रथम श्रेणी में बारहवी कक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
5. योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नही होगा।
6. छात्रा जिस सत्र में बारहवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
7. छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियाँ में से एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।
8. छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाये जाते है तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति बसूली कर **अनुशासत्मक कार्यवाही** की जावेगी।

आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची की छायाप्रति।
2. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है इस संबंध में सरपंच का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
4. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
5. छात्रा के नाम का बैंक खाता क्र0 एवं बैंक का आईएफएससी कोड बैंक पास बुक की छाया प्रति।
6. छात्रा के नाम का आधार कार्ड का नं. एवं आधार कोड की छाया प्रति।
7. प्रवेश रसीद की छाया प्रति।

नोट :–1. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य हैं।

प्राचार्य,
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म0प्र0

पृ. क्र0 / इ.म. / छात्रवृत्ति शाखा / 2017–18 / 69 / *सागर,दिनांक :– 01 /08/ 2017*

प्रतिलिपिः– 1. नोटिस बोड पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी प्रथम वर्ष, कक्षाओं में भ्रमण हेतु।
3. प्रभारी वेबसाईट, इं. गां. इंजी. कालेज सागर।

प्राचार्य,
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय